बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र सं० –NHM/BHDS/351/2024-पी०पी०एम०-158- /कृ०, पटना दिनांकः 27/11/ ,2024

प्रेषक,

मनोज कुमार
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+)अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा– वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय– **राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2024–25 में सब्जियों हेतु आलान प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल 459.00 लाख (चार करोड़ उनसठ लाख) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश : **स्वीकृत।**

राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2024–25 में सब्जियों हेतु आलान प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल 459.00 लाख (चार करोड़ उनसठ लाख) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह नई योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य में सब्जियों हेतु आलान प्रबंधन कर सब्जियों के गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाकर कृषकों के आय में वृद्धि करना है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जायेगा।

3. इस योजना के तहत् आलान प्रबंधन हेतु बाँस, लोहा तार, प्लास्टिक सुतली एवं पाट सुतली के क्रय पर व्यय होने वाले राशि का आकलन 4500.00 रूपये प्रति 125 वर्गमीटर/इकाई निर्धारित किया गया है, जिस पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। कृषकों द्वारा उपरोक्त सामग्री का क्रय स्वयं किया जाएगा। उपरोक्त निर्धारित लागत राशि 4500.00 रूपये का 80 प्रतिशत अर्थात् 3600.00 रूपये अथवा कृषकों द्वारा बाजार से क्रय किये गये सामग्री पर हुई वास्तविक व्यय राशि का 80 प्रतिशत, दोनों में जो न्यूनतम होगा, DBT in cash के रूप में अनुदान दी जाएगी। आलान प्रबंधन का ईकाई लागत संबंधित विवरणी अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

4. यह अनुदान की योजना है। इसमें मानव दिवस का सृजन सम्भावित नहीं है। योजना अन्तर्गत जिलावार निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–2 तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार कोटियार वित्तीय लक्ष्य विवरणी अनुसूची–3 के रूप में संलग्न है। योजना का लाभ न्यूनतम 01 इकाई (125 वर्गमीटर) तथा अधिकतम 16 इकाई (2000 वर्गमीटर) के लिए देय होगा।

इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का DBT पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक होगा। योजना अन्तर्गत कृषकों का चयन ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर किया जायेगा। विभागीय वेबसाईट http://horticulture.bihar.gov.in पर उपलब्ध "योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन करें" लिंक पर Click कर Dashboard पर उपलब्ध ''सब्जियों हेतु आलान प्रबंधन योजना'' टैब पर Click कर ''आवेदन करें" लिंक पर जाकर आवेदन किया जायेगा।

5. सब्जियों हेतु आलान प्रबंधन मुख्य रूप से लघु एवं सीमांत कृषकों के साथ--साथ वैसे कृषक, जिनके पास जमीन नहीं है, पट्टे और बटाई की जमीन पर सब्जी की खेती करने वाले कृषकों को एकरारनामा (अनुसूची–4) के आधार पर योजना का लाभ दिया जायेगा।

6. योजना का कार्यान्वयन संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा तथा सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, उद्यान निदेशक, बिहार, पटना होंगे। बिहार राज्य बागवानी मिशन द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। सहायक निदेशक उद्यान इस योजना से संबंधित सभी रिकॉर्ड यथा– फोटोग्राफी, विडियोग्राफी, उत्पादन एवं उत्पादकता के आँकड़े आदि संधारित करेंगे।

7. योजनान्तर्गत 78.56 : 20 : 1.44 के अनुपात में कोटिवार लाभुकों का चयन किया जायेगा। सभी कोटि में 30 प्रतिशत महिला कृषकों को प्राथमिकता दिया जायेगा।

8. योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा प्रशासी विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि से 18 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार (ले० एवं ह०) को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

9. योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में अनुसूची–3 के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से BTC Form - 42 पर CFMS के माध्यम से करते हुए संबंधित किसानों को DBT in cash के रूप में अनुदान उपलब्ध करायी जायेगी।

10. योजना कार्यान्वयन के क्रम में यथावश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अधीन किया जा सकेगा।

11. वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट उपबंध का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि–लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या–01, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401001190101,विषय शीर्ष 0101–31–06 सहायक अनुदान--गैर वेतन।	23568.00	360.59040
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष – 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–01, उप शीर्ष – 0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007890130, विषय शीर्ष 0130–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	6000.00	91.80000
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या–01, उपशीर्ष 0152 – उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007960152, विषय शीर्ष 0152–31–06 सहायक अनुदान– गैर वेतन।	432.00	6.60960
कुल	**30000.00**	**459.00000**

12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 / वि0 दिनांक–31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना के कार्यान्वयन प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–NHM/BHDS/351 / 2024 के पृ0सं0–07 / टि० पर दिनांक–20.11.2024 को प्राप्त है।

13. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–NHM/BHDS/351/2024 के पृ0सं0–09/टि० पर दिनांक–26.11.2024 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–780 दिनांक–25.11.2024 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

26/XI/24
(मनोज कुमार)
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/351/2024-पी०पी०एम०-158- /कृ०, पटना दिनांक: 27/11 ,2024

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/XI/24
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/351/2024-पी०पी०एम०-158- /कृ०, पटना दिनांक: 27/11 ,2024

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/XI/24
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/351/2024-पी०पी०एम०-158- /कृ०, पटना दिनांक: 27/11 ,2024

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/XI/24
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/351/2024-पी०पी०एम०-158- /कृ०, पटना दिनांक: 27/11 ,2024

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/XI/24
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— NHM/BHDS/351/2024-वी०वी०एम०-158- /कृ०, पटना दिनांक 27/11/ ,2024

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक उद्यान/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/11/24

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— NHM/BHDS/351/2024-वी०वी०एम०-158- /कृ०, पटना दिनांक 27/11/ ,2024

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

26/11/24

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची – 1

आलान प्रबंधन का इकाई लागत (प्रति 125 वर्गमीटर)

क्र० सं०	अवयव	संख्या/मात्रा	दर	कुल राशि (रूपये में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	बाँस	12	250 रू०/बाँस	3000.00
2	लोहा तार	6 किलोग्राम	125 रू०/किलोग्राम	750.00
3	पाट सुतली	3 किलोग्राम	150 रू०/किलोग्राम	450.00
4	प्लास्टिक सुतली	2 किलोग्राम	150 रू०/किलोग्राम	300.00
कुल				**4500.00**

(मो० चार हजार पाँच सौ रूपये)

निदेशक उद्यान, बिहार।

अनुसूची – 2

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सब्जियों हेतु आलान प्रबंधन से संबंधित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी

(भौतिक लक्ष्य इकाई में एवं वित्तीय लक्ष्य लाख रूपये में)

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रति यूनिट लागत	प्रति यूनिट अनुदान की राशि	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	आकस्मिकता/प्रचार–प्रसार @2%	कुल वित्तीय लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अररिया	4500	3600	100	3.60	0.072	3.67200
2	अरवल	4500	3600	100	3.60	0.072	3.67200
3	औरंगाबाद	4500	3600	300	10.80	0.216	11.01600
4	बाँका	4500	3600	150	5.40	0.108	5.50800
5	बेगूसराय	4500	3600	500	18.00	0.360	18.36000
6	भागलपुर	4500	3600	400	14.40	0.288	14.68800
7	भोजपुर	4500	3600	300	10.80	0.216	11.01600
8	बक्सर	4500	3600	200	7.20	0.144	7.34400
9	दरभंगा	4500	3600	200	7.20	0.144	7.34400
10	पूर्वी चम्पारण	4500	3600	600	21.60	0.432	22.03200
11	गया	4500	3600	200	7.20	0.144	7.34400
12	गोपालगंज	4500	3600	200	7.20	0.144	7.34400
13	जमुई	4500	3600	150	5.40	0.108	5.50800
14	जहानाबाद	4500	3600	150	5.40	0.108	5.50800
15	कैमूर	4500	3600	150	5.40	0.108	5.50800
16	कटिहार	4500	3600	200	7.20	0.144	7.34400
17	खगड़िया	4500	3600	150	5.40	0.108	5.50800
18	किशनगंज	4500	3600	150	5.40	0.108	5.50800
19	लखीसराय	4500	3600	300	10.80	0.216	11.01600
20	मधेपुरा	4500	3600	200	7.20	0.144	7.34400
21	मधुबनी	4500	3600	200	7.20	0.144	7.34400
22	मुंगेर	4500	3600	200	7.20	0.144	7.34400
23	मुजफ्फरपुर	4500	3600	300	10.80	0.216	11.01600
24	नालन्दा	4500	3600	400	14.40	0.288	14.68800
25	नवादा	4500	3600	200	7.20	0.144	7.34400
26	पटना	4500	3600	1500	54.00	1.080	55.08000
27	पूर्णियाँ	4500	3600	250	9.00	0.180	9.18000
28	रोहतास	4500	3600	500	18.00	0.360	18.36000
29	सहरसा	4500	3600	150	5.40	0.108	5.50800
30	समस्तीपुर	4500	3600	600	21.60	0.432	22.03200
31	सारण	4500	3600	600	21.60	0.432	22.03200
32	शेखपुरा	4500	3600	200	7.20	0.144	7.34400
33	शिवहर	4500	3600	150	5.40	0.108	5.50800
34	सीतामढ़ी	4500	3600	300	10.80	0.216	11.01600
35	सिवान	4500	3600	600	21.60	0.432	22.03200
36	सुपौल	4500	3600	200	7.20	0.144	7.34400
37	वैशाली	4500	3600	750	27.00	0.540	27.54000
38	पश्चिमी चम्पारण	4500	3600	700	25.20	0.504	25.70400
	कुल योग			**12500**	**450.00**	**9.000**	**459.00000**

(मो० चार करोड़ उनसठ लाख रूपये)

निदेशक उद्यान, बिहार।

अनुसूची – 3

क्र० सं०	जिला /निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	सामान्य जाति (78.56%)	अनुसूचित जाति (20.00%)	अनुसूचित जनजाति (1.44%)	कुल वित्तीय लक्ष्य
वित्तीय वर्ष 2024–25 में सब्जियों हेतु आलान प्रबंधन योजना के तहत् निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार तथा श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण (राशि लाख रू० में)					
1	सहायक निदेशक उद्यान, अररिया	2.88472	0.73440	0.05288	3.67200
2	सहायक निदेशक उद्यान, अरवल	2.88472	0.73440	0.05288	3.67200
3	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद	8.65417	2.20320	0.15863	11.01600
4	सहायक निदेशक उद्यान, बाँका	4.32708	1.10160	0.07932	5.50800
5	सहायक निदेशक उद्यान, बेगूसराय	14.42362	3.67200	0.26438	18.36000
6	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	11.53889	2.93760	0.21151	14.68800
7	सहायक निदेशक उद्यान, भोजपुर	8.65417	2.20320	0.15863	11.01600
8	सहायक निदेशक उद्यान, बक्सर	5.76945	1.46880	0.10575	7.34400
9	सहायक निदेशक उद्यान, दरभंगा	5.76945	1.46880	0.10575	7.34400
10	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्वी चम्पारण	17.30834	4.40640	0.31726	22.03200
11	सहायक निदेशक उद्यान, गया	5.76945	1.46880	0.10575	7.34400
12	सहायक निदेशक उद्यान, गोपालगंज	5.76945	1.46880	0.10575	7.34400
13	सहायक निदेशक उद्यान, जमुई	4.32708	1.10160	0.07932	5.50800
14	सहायक निदेशक उद्यान, जहानाबाद	4.32708	1.10160	0.07932	5.50800
15	सहायक निदेशक उद्यान, कैमूर	4.32708	1.10160	0.07932	5.50800
16	सहायक निदेशक उद्यान, कटिहार	5.76945	1.46880	0.10575	7.34400
17	सहायक निदेशक उद्यान, खगड़िया	4.32708	1.10160	0.07932	5.50800
18	सहायक निदेशक उद्यान, किशनगंज	4.32708	1.10160	0.07932	5.50800
19	सहायक निदेशक उद्यान, लखीसराय	8.65417	2.20320	0.15863	11.01600
20	सहायक निदेशक उद्यान, मधेपुरा	5.76945	1.46880	0.10575	7.34400
21	सहायक निदेशक उद्यान, मधुबनी	5.76945	1.46880	0.10575	7.34400
22	सहायक निदेशक उद्यान, मुंगेर	5.76945	1.46880	0.10575	7.34400
23	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर	8.65417	2.20320	0.15863	11.01600
24	सहायक निदेशक उद्यान, नालन्दा	11.53889	2.93760	0.21151	14.68800
25	सहायक निदेशक उद्यान, नवादा	5.76945	1.46880	0.10575	7.34400
26	सहायक निदेशक उद्यान, पटना	43.27085	11.01600	0.79315	55.08000
27	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णियाँ	7.21181	1.83600	0.13219	9.18000
28	सहायक निदेशक उद्यान, रोहतास	14.42362	3.67200	0.26438	18.36000
29	सहायक निदेशक उद्यान, सहरसा	4.32708	1.10160	0.07932	5.50800
30	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर	17.30834	4.40640	0.31726	22.03200
31	सहायक निदेशक उद्यान, सारण	17.30834	4.40640	0.31726	22.03200
32	सहायक निदेशक उद्यान, शेखपुरा	5.76945	1.46880	0.10575	7.34400
33	सहायक निदेशक उद्यान, शिवहर	4.32708	1.10160	0.07932	5.50800
34	सहायक निदेशक उद्यान, सीतामढ़ी	8.65417	2.20320	0.15863	11.01600
35	सहायक निदेशक उद्यान, सिवान	17.30834	4.40640	0.31726	22.03200
36	सहायक निदेशक उद्यान, सुपौल	5.76945	1.46880	0.10575	7.34400
37	सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली	21.63542	5.50800	0.39658	27.54000
38	सहायक निदेशक उद्यान, पश्चिमी चम्पारण	20.19306	5.14080	0.37014	25.70400
	कुल योग	**360.59040**	**91.80000**	**6.60960**	**459.00000**

(मो० चार करोड़ उनसठ लाख रूपये)

निदेशक उद्यान, बिहार।

अनुसूची–4

कृषि विभाग

उद्यान निदेशालय

सब्जियों हेतु आलान प्रबंधन योजना का लाभ लेने हेतु एकरारनामा (गैर–रैयत कृषक)

(विहित प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि

1. मै...पिता / पति...

ग्राम...पोस्ट...पंचायत..

प्रखंड.....................................जिला...................................का निवासी हूँ।

मैंने लत्तीदार सब्जियों हेतु आलान प्रबंधन के लिए कृषक श्री... ....पिता / पति...ग्राम..................................पोस्ट....................पंचायत..... ....प्रखंड...जिला....................से खाता संख्या...... ....खेसरा संख्या.......................रकवा.................. जमीन बटाई / पट्टा पर प्राप्त किया है।

2. बटाई / पट्टा पर ली गई उपर्युक्त जमीन पर मेरे द्वारा सब्जियों हेतु आलान प्रबंधन की जायेगी।

3. उपर्युक्त सूचना सही है एवं किसी प्रकार का विवाद होने पर उसकी सारी जवाबदेही मेरी होगी तथा मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

कृषक का पूर्ण हस्ताक्षर

खेत के बगल के दो किसानों का नाम, हस्ताक्षर एवं मोबाईल नं०

1	गवाह का नाम एवं पता	हस्ताक्षर	मोबाईल नं०
	....	....	....
	....		
	....		
2	गवाह का नाम एवं पता	हस्ताक्षर	मोबाईल नं०
	....	....	....
	....		
	....		

सत्यापनकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

(पदनाम:– कृषि समन्वयक / प्रखंड उद्यान पदाधिकारी / प्रखंड कृषि पदाधिकारी)